

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

दिनांक

**प्रार्थीगण :-**

- 1.सलामत पत्नि वलू
- 2.हुरमत पत्नि मूसा
- 3.वलू पुत्र सरादीन जाति मुसलमान,
- 4.हड़वन्तसिंह पुत्र रायसिंह जाति राजपूत, निवासी सुकालिया तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

**विप्रार्थीगण:-**

1. मोहमदरहीम पुत्र दाबूद 2.इसाक
- 3.सायदाद 4.करीमदाद 5.मलूका पि.महेन्द्रा जातियान मुसलमान 6.तेजाराम पुत्र विरधाराम 7.कैलाश पुत्र सताराम 8.लेहरी पत्नि हडुमान 9.सायबी पत्नि विरधा 10.नारणा 11.गोमा 12.किशना पि.सोना जातियान जाट, निवासी सुकालिया तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 258/2018

दिनांक : 05.07.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा सुकालिया के खेत खसरा सं. 953 रकबा 41.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।


नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1457 to 1460

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण सलामत वगैरा
3. विप्रार्थीगण मोहमदरहीम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 05/07/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन